

483
17-11-14 II 100



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 28, सोमवार, शाके 1936-अक्टूबर 20, 2014
Asvina 28, Monday Saka 1936-October 20, 2014

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
ORDER**

Jaipur, October 17, 2014

No. F.3 (6) Estt./RLA/1991/Part-III/2008-2014 :- In exercise of the powers conferred under Rule 4 (2) of the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, Hon'ble Speaker, Rajasthan Legislative Assembly hereby issues the following order to make further amendments in the Schedule, namely:-

1. **Short title and commencement** :- (A) These Rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2014.

(B) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment in Schedule** :- (1) In the heading "Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Subordinate Service" existing entry at S.No. 4 shall be deleted

(2) After the existing serial no. 3 in the heading "Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Subordinate Service" following serial no. 3a and entries therein shall be inserted, namely:-

3a	Surksha Shayak	100% by promotion	5 years experience on the post mentioned in column 5	Guard	On the basis of seniority cum merit	Promotion to the post shall be made on the recommendation of a DPC to be constituted by the Speaker. For the the purpose of judging suitability for the post, the DPC will consider the APR's and other service record of the incumbent.
----	----------------	-------------------	--	-------	-------------------------------------	--

By Order,
Prithvi Raj,
Special Secretary.

अधिकृत हिन्दी अनुवाद
राजस्थान विधान सभा सचिवालय
आदेश.

जयपुर, अक्टूबर 17, 2014

संख्या प.3 (6)संस्था/विस/1991पार्ट-III/2008-2014 :- राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के नियम 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा इन नियमों की अनुसूची में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं, अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (अ) यह नियम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2014 कहलायेगे।
(ब) ये नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।
- अनुसूची में संशोधन :- (1) शीर्षक "राजस्थान विधान सभा सचिवालय अधीनस्थ सेवा" के अधीन विद्यमान क्रम संख्या-4 को विलोपित किया जायेगा।
(2) शीर्षक "राजस्थान विधान सभा सचिवालय अधीनस्थ सेवा" के क्रम संख्या 3 पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या-3ए तथा उनकी प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात :-

3ए	सुरक्षा सहायक	100 पदोन्नति द्वारा	कॉलम संख्या 5 में वर्णित पद पर जांच वर्ष का कार्यानुभव।	प्रहरी	वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर	माननीय अध्यक्ष द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर पद पर पदोन्नति की जाएगी। पद की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए विभागीय पदोन्नति समिति पात्र
----	---------------	---------------------	---	--------	--------------------------------	---

						अभ्यर्थियों के वार्षिक कार्य मुल्यांकन एवं अन्य सेवामिलेखों की जांच करेगी।
--	--	--	--	--	--	--

आज्ञा से,
पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।